## न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 19/2018 (Rcms no. 2018/00028)

उनवानी प्रकरण :–

1. बेताल पुत्र धान्धू जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी ———अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ——— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.2.2018 तहसीलदार बसेडी प्र.सं288/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम बेताल अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1–अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिहं अभिभाषक।

2– रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–05.06..2018

### निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.02.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बौरेली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 696 रकवा 0.25 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम फसल रवि सम्वत् 2074 में सरसों बोकर अपीलान्ट ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को बिना सुने 163/–रूपये का जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर रविकुमार पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर कराकर तामील मान ली है जबकि अपीलान्ट का पुत्र गॉव में नहीं रहता है, वह शहर में रहकर काम करता है। नोटिस पर अपीलान्ट के पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर है यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते। अधीनस्थ न्यायालय अपनाई गई प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर बयान दिया एवं अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिकमी बताया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलान्ट का कितने

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

वर्ष पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलान्ट द्वारा कब्जा किया गया था तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान किया है। अपीलान्ट् समाज में सम्मान जनक/प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो कायदा कानून का सम्मान करना जानता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय की जानकारी पुलिस थाना बसेडी के जरिये हुई। विवादित आराजी पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्ट का पूर्व कब्जा मानकर दिनांक 23.3.2007 को नियम 21 **"दी राजस्थान कॉलोनाईजेशन मीडियम माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट गवर्मेन्ट लेण्ड अलोटमेन्ट रूल्स 1968** के तहत नियमन की सिफारिस की है एवं कब्जे को पुष्ट करते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति दी है। इस प्रकार अपीलान्ट ने तहसीलदार बसेडी के द्वारा नियमन की सिफारिस होने पर विवादित आराजी में फसल की है जबरदस्ती फसल नहीं की है इस प्रकार अपीलान्ट अतिकमी नहीं है ऐसे अतिकमियों की सजा नहीं की जा सकती है अभी तक नियमन की पत्रावली उपखण्डाधिकारी बसेडी के समक्ष विचाराधीन है। निरस्त नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 12.2.2018, प्रारूप –3 में निर्धारित नोटिस की प्रति, आर्डरशीट दिनांक 15.1.2018 व 12.2.2018 की प्रतिलिपि, नियमन करने की सिफारिस की आर्डरशीट 8.3.2007 से 24.3.2007 तक की फोटो प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिकमी मानते हुए बिना सुने 163/–रूपये का जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस की विधिवत तामील नही कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर रविकुमार पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर कराकर तामील मान ली है जबकि अपीलान्ट का पुत्र में रहता ही नहीं है वह शहर में रह कर काम करता है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

है जो कायदा कानून नही जानता हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2018 को पुलिस के जरिये हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजी पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्ट का पूर्व कब्जा मानकर दिनांक 23.3.2007 को नियम 21 "**दी राजस्थान कॉलोनाईजेशन मीडियम माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट गवर्मेन्ट लेण्ड अलोटमेन्ट रूल्स 1968** के तहत नियमन की सिफारिस की है एवं कब्जे को पुष्ट करते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति दी है। इस प्रकार अपीलान्ट ने तहसीलदार बसेडी के द्वारा नियमन की सिफारिस होने पर विवादित आराजी में फसल की है जबरदस्ती फसल नहीं की है इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है ऐसे अतिकमियों की सजा नहीं की जा सकती है अभी तक नियमन की पत्रावली उपखण्डाधिकारी बसेडी के समक्ष विचाराधीन है। निरस्त नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने आर एल डब्लू 2008(1)आरजे पेज संख्या 670 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रति पादित किया गया है कि " **राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 – सरकारी भूमि पर अधिकमण तहसीलदार ने बेदखल करते हुए 200 /–रूपये की शास्ति अधिरोपित कर दो माह की कैद की सजा दी – सरकारी परिपत्रों दिनांक 1.4.1991 एवं 16.10.2001 की दृष्टि से नियमित करने की प्रार्थना की – उच्च न्यायालय ने बेदखली पर रोक लगाई थी अतः उसके कब्जे के नियमन हेतु मामले पर विचार नहीं किया गया। प्रार्थीगण भूमि के नियमन हेतु सम्पूर्ण प्रकिया का अनुसरण करने के लिए तत्पर है– अभिनिर्धारित – इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कब्जा पुराना है एवं तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश को 16 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है – नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार नियमन हेतु प्रकरण पर विचार करने के निर्देश दिये एवं तब तक उसके बेदखल नहीं किया जावे। याचिका स्वीकार की।** अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील उनके पुत्र रविकुमार के फर्जी हस्ताक्षर कराकर मान ली है। क्योंकि इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नही होता अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नही हुये। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि विवादित आराजी का तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नियमन कराये जाने का प्रकरण सिफारिस के साथ उपखण्डाधिकारी बसेडी को भेजा है जो विचाराधीन है जब तक प्रक्रिया लम्बित है तब तक सजा नही दी जा सकती है उचित नहीं हैं क्योंकि नियमन की कार्यवाही एक पृथक कार्यवाही है नियमन सिफारिस मात्र करने से मालिकाना हक प्राप्त नही होता

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

है जब तक नियमन नही हो जाता तब कि अपीलान्ट अतिकमी की परिभाषा में आयेगा। तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्ट के हक में आराजी खसरा नम्बर 1258 रकवा 1 बीघा की नियमन की सिफारिश की गई है। जबकि अपीलान्ट का अतिकमण आराजी खसरा नम्बर 696 रकवा 0.25 हैक्टेयर पर है। इस प्रकार अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि उसके हक में तहसीलदार बसेडी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर के नियमन की सिफारिश की है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्ट का पूर्व कब्जा मानकर नियमन की सिफारिस की है ।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नही है कि तामील पर उसके पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किये हैं ।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नही होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस तथ्य के सम्बन्ध में अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये, तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था ।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि विवादित आराजी का तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नियमन कराये जाने का प्रकरण सिफारिस के साथ उपखण्डाधिकारी बसेडी को भेजा है जो विचाराधीन है जब तक प्रकिया लम्बित है तब तक सजा नही दी जा सकती है उचित नही हैं तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्ट के हक में आराजी खसरा नम्बर 1258 रकवा 1 बीघा की नियमन की सिफारिश की गई है। जबकि अपीलान्ट का अतिकमण आराजी खसरा नम्बर 696 रकवा 0.25 हैक्टेयर पर है। इस प्रकार अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि उसके हक में तहसीलदार बसेडी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर के नियमन की सिफारिश की है ।
5. यह तथ्य सही है कि नियमन की कार्यवाही एक पृथक कार्यवाही है नियमन की सिफारिस मात्र करने से अतिकमी को अतिकमण आराजी पर मालिकाना हक प्राप्त नही होता है जब तक नियमन नही हो जाता तब तक अपीलान्ट अतिकमी की परिभाषा में आयेगा ।
6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है ।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)